

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री लादुदास पिता छोगादास वैष्णव निवासी साड़ास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
बनाम

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगरार
किरम प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 16/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2018	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री लादुदास पिता छोगादास वैष्णव निवासी साड़ास, तहसील गंगरार द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 04.05.17 को विकास अधिकारी, गंगरार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, विकास अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपील दिनांक 18.07.2017 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की उसके बावजूद भी अपीलार्थी को आदिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगरार लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगरार लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों के बाद भी सूचना नहीं मिलने की स्थिति में राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	